होता है कि कुछ ही अन्तराल के बाद ऐसे व्यक्ति नशे की लत का शिकार होकर आपराधिक गतिविधियाँ भी करने लगते हैं और यहाँ तक कि अपने माता, पिता, भाई, बहन अथवा किसी की भी हत्या कर देते हैं, जिसके तमाम उदाहरण पत्र-पत्रिकाओं एवं न्यूज़ चैनलों के माध्यम से हमें देखने को मिलते हैं।

महोदय, युवाओं के भटकने का सीधा असर समाज के साथ-साथ देश की होने वाली तरक्की पर भी पड़ता है, क्योंकि जब-जब देश का युवा सही रास्तों पर चला है, तब-तब देश में क्रान्तिकारी परिवर्तन आये हैं। आज के परिवेश में नशे को रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा सकते हैं, इस पर हम सबको चिन्ता करना अत्यन्त आवश्यक है। देश में नशे के कारण कम समय में ही जीवन को खतरा बढ़ता है। किसी तरह अपनी जीविका चलाने वाला परिवार अपनी युवा पीढ़ी के नशाखोरी करने वाले बच्चों के कारण समाप्त हो जाता है।

महोदय, मेरा निवेदन है कि सरकार इस विषय पर गम्भीरतापूर्वक विचार करके कुछ आवश्यक नियम बनाए, ताकि व्यक्ति, परिवार एवं समाज का उत्थान हो सके।

Need to re-open border *Haat* at Tripura-Bangladesh border

श्री बिप्लब कुमार देब (त्रिपुरा) : महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से हमारे राज्य में स्थित बॉर्डर हाट को शुरू करवाने का आग्रह करता हूँ। त्रिपुरा में भारत एवं बंगलादेश की सीमा पर सिपाहीजला जिले के कमलासागर तारापुर और साउथ त्रिपुरा जिले के सबडिवीजन सबरूम के श्रीनगर छगलनया में साप्ताहिक बॉर्डर हाट लगता है, जिसमें दोनों देशों के दुकानदार आकर स्थानीय सामान बेचते और खरीदते हैं। पर्यटकों को भी यह स्थान आकर्षित करता है, मगर कोविड काल में दोनों बॉर्डर हाट बन्द कर दिए गए थे। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि कोविड की स्थिति सामान्य होने के बाद मेघालय राज्य के अन्तर्गत आने वाले बॉर्डर हाट को खोल दिया गया है, किन्तु त्रिपुरा के बॉर्डर हाट को नहीं खोला गया है। इस बाबत त्रिपुरा सरकार के इंडस्ट्री विभाग ने केन्द्र सरकार को मामले में हस्तक्षेप कर बंगलादेश सरकार से बात कर हमारे राज्य के बॉर्डर हाट को शुरू कराने का आग्रह किया है।

महोदय, बॉर्डर हाट का संचालन देखने के लिए बनी ज्वाइंट बॉर्डर हाट कमेटी में दोनों तरफ के जिलों के एडीएम हैं। उनके बीच वार्ता में हमारी ओर से एडीएम ने बॉर्डर हाट शुरू कराने का विषय उठाया है, मगर बंगलादेश प्रशासन की ओर से कोई कारण नहीं बताया जा रहा है कि बॉर्डर हाट क्यों नहीं शुरू कर रहे हैं, जिसकी वजह से कई स्थानीय लोगों की आजीविका प्रभावित हो रही है।

अतः वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय मामले में जल्द एक्शन लेते हुए बंगलादेश से त्रिपुरा बॉर्डर हाट शुरू करवाए और कमलपुर के मोराछरा और धर्मनगर में शुरू होने वाले नये बॉर्डर हाट के कार्य में तेजी लाए।

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, I associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Sir, I also associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I also associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

Need to provide benefits of Ayushman Bharat Scheme to those working in stone cutting industry and mines

श्रीमती संगीता यादव (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपको प्रणाम करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे स्पेशल मेंशन पर बोलने का मौका दिया। मैं अपने सभी साथी माननीय सदस्यों को भी प्रणाम करती हूँ। यह मेरा सदन में बोलने का पहला अवसर है।

महोदय, देश भर में विशेषतः राजस्थान में उत्तर प्रदेश के सोनभद्र, प्रयागराज के शंकरगढ़ में पत्थर गढ़ाई और खदानों में काम करने वाले हजारों मजदूर हर साल सिलिकोसिस जैसी भयावह बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। महोदय, यह बीमारी बड़ी ही दर्दनाक है। ये मजदूर बड़ी-बड़ी सरकारी इमारतें तथा हमारे आलीशान घरों को बनाते हैं। ये मजदूर इन्हीं इमारतों तथा घरों में लगने वाले पत्थरों को तराशते, गढ़ते हुए इस लाइलाज बीमारी के शिकार हो जाते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के आँकड़ों के अनुसार सन् 2000 में लगभग एक करोड़ लोग इस बीमारी की चपेट में आए थे। इनमें अधिकतर असंगठित मजदूर हैं, जिन्हें कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती है। जो खदानें कंपनियों और ठेकेदारों के लिए सोना उलगती हैं,उन्हीं खदानों में मजदूरों को मौत की सौगात मिलती है। जहाँ इस बीमारी से पीड़ित मजदूर बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में दम तोड़ देते हैं, वहीं पर उनके परिवार इलाज कराते हुए कर्ज़ में डूब जाते हैं।

महोदय, मेरा सदन के माध्यम से यह निवेदन है कि इन मजदूरों के लिए जो श्रम कानून बनाए गए हैं, उनका सख्ती से पालन हो। मैं सरकार से निवेदन करती हूँ कि इन मजदूरों को 'प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना' के तहत आयुष्मान कार्ड का लाभ दिया जाए।

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, I associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

SHRI DHANANJAY BHIMRAO MAHADIK (Maharashtra): Sir, I also associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

SHRIMATI VANDANA CHAVAN (Maharashtra): Sir, I also associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.